नहीं किया जा सकता बर्दाश्त

मुख्य न्यायाधीश रमना ने यहां तक कह दिया कि वह राज्यों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ऐसी स्थायी समिति बनाने के हक में हैं, जो समय–समय पर आने वाली इन शिकायतों की जांच करे।

आरती शर्मा।।

देश के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने अफसरशाही, खासकर पुलिस ऑफिसरों की ओर से किए जा रहे अत्याचारों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमना ने यहां तक कह दिया कि वह राज्यों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ऐसी स्थायी समिति बनाने के हक में हैं, जो समय–समय पर आने वाली इन शिकायतों की जांच करे। चीफ जस्टिस रमना ने यह बात ऐसे समय कही है, जब यूपी के गोरखपुर में एक होटल पर छापे के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की मारपीट से हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत सुर्खियों में है। जिस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रमना ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में समिति बनाने की यह बात कही, उसमें छत्तीसगढ़ के एक निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गिरफ्तारी से राहत देने की गुजारिश लेकर आए थे। इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर राजद्रोह और अवैध वसूली समेत कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसे पिछली सरकार से कथित तौर पर करीबी रिश्तों की सजा दी जा रही है। इस मामले में भी पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस रमना ने पुलिस अधिकारियों में दिख रही इस प्रवृत्ति को रेखांकित किया था कि वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं से करीबी ताल्लुकात के लिए उनके अवैध ा आदेशों का पालन करते हुए सारी हदें पार कर जाते हैं और फिर सत्ता बदलने पर नई सरकार का कोपभाजन बनते हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कही थी। निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति किसी एक मामले या एक राज्य तक सीमित नहीं है। पुलिस अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं के निजी स्वार्थों का गठबंधन ही इस पूरे खेल के पीछे है। संभवतरू इस गठबंधन को तोड़ने की जरूरत महसूस करते हुए ही जस्टिस रमना ने यह बात कही कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की अगुआई में समिति बनाने का विकल्प भी उपलब्ध है। मगर देखा जाए तो यह समस्या मूलतरू कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र से जुड़ी है। थोड़ी और सटीकता से कहें तो कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है और इसलिए इसे हल करने की जिम्मेदारी भी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों की ही बनती है। दिक्कत यह है कि इसे हल करने की दिशा में कारगर कदम उठाना तो दूर, ऐसी कोई इच्छा भी राज्य सरकारें नहीं दिखा रहीं। जब कोई मामला मीडिया में आकर चर्चित हो जाता है तो पीड़ित पक्ष को नौकरी और नकद सहायता वगैरह देकर मामले को ठंडा कर लिया जाता है। फिर नई घटना होने तक शांति बनी रहती है।

ऐसे में मुख्य न्यायाधीश का समिति बनाने के विकल्प से अपनी सहमति जताना और ऐसा आदेश न देना काफी अर्थपूर्ण है। यह सभी संबंधित पक्षों के लिए गंभीर चेतावनी है। बेहतर होगा कि इस संदेश से सबक लेकर पुलिस महकमा और राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व समय रहते अपना रवैया सुधार लें और न्यायपालिका को दखल देने की जरूरत न पड़े।

कंजूस

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित कौर व्यक्ति मरने को तैयार हो? आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वह सुख से खाता पीता, सोता नहीं था। उसको राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेशानुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर बाकयदा श्वेत कफन से ढक दिया गया और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में तुम अकेले हो। इतना धन तुम्हारे घर में ही कैद पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा और बरबार कुछ मांगने की रट लगाए रहा।

संपादकीय

क्या करे सरकार

सरकार थोड़ा मौलिक नजरिया अपनाते हुए चले तो काफी कुछ किया जा सकता है। उसे खेती में उपयोग किए जाने वाले पानी का मूल्य बढ़ा देना चाहिए। एक अन्य उपाय यह है कि पानी को आयतन के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की जाए। इससे किसान सस्ते पानी के लालच में धान में लगातार पानी भरकर रखना बंद कर देंगे। सरकार को एलपीजी का दाम बढ़ाना चाहिए, जिससे गोबर गैस बनाना लाभप्रद हो जाए। मांसाहारी भोजन पर भारी टैक्स लगाना चाहिए, जिससे शाकाहारी भोजन का विस्तार हो। यही नहीं, बड़ी पनबिजली परियोजनाओं पर भारी पर्यावरण टैक्स लगाना चाहिए, जिससे सौर ऊर्जा का विस्तार हो। पानी, एलपीजी, मांसाहारी भोजन और पनबिजली पर लगाए गए टैक्स से अर्जित रकम को सरकारी कर्मियों के बढ़े हुए वेतन पर खर्च करने के बजाय आम लोगों के बीच सीधे वितरित करे। ऐसा करने से आम आदमी पर इस टैक्स का तनिक भी भार नहीं पड़ेगा। जितना भार महंगे चावल और एलपीजी से पड़ेगा, उतनी ही रकम की सब्सिडी मिल जाएगी। सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, जिससे हमारा आर्थिक विकास हो और हम ग्लोबल वॉर्मिंग बढ़ाने वाले देशों की कतार में न खड़े हों।

मीथेन 28 से 80 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ग्लासगो में हो रहे सीओपी26 सम्मेलन में लगभग 100 देशों ने मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने का समझौता किया है।

टिहरी झील से भी मीथेन

भरत झुनझुनवाला।।

सभी जीवों के शरीर में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। मृत्यु के बाद इन तमाम जीवों का शरीर सड़ने लगता है। सड़ते समय आसपास ऑक्सिजन उपलब्ध हुई, तो शरीर में मौजूद कार्बन से कार्बन डायॉक्साइड और हाइड्रोजन से H2O यानी पानी बन जाता है। इसके विपरीत अगर सड़ते समय ऑक्सिजन उपलब्ध नहीं होती, तो वही पदार्थ मीथेन गैस यानी CH4 बन जाते हैं। यह गैस कार्बन डायॉक्साइड की तुलना में ग्लोबल वॉर्मिंग की बड़ी वजह है। धरती से जब गर्मी की किरणें निकलती हैं तो वे कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच कंपन पैदा करती हैं। वह ऊर्जा अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। वह हमारे वातावरण में टिक जाती है और धरती को गरम करती है। ध्यान रहे, कार्बन डायॉक्साइड की तुलना में मीथेन के अणुओं में कंपन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मीथेन 28 से 80 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ग्लासगो में हो रहे COP26 सम्मेलन में लगभग 100 देशों ने मीथेन उत्सर्जन को सीमित करने का समझौता किया है।

कृषि और पशुपालन से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। धान के खेतों को पानी से भर दिया जाता है। इस पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सिजन नहीं रहती, जिससे पौधों के नीचे गिरे हुए पत्ते के सड़ने से मीथेन गैस बनती है।

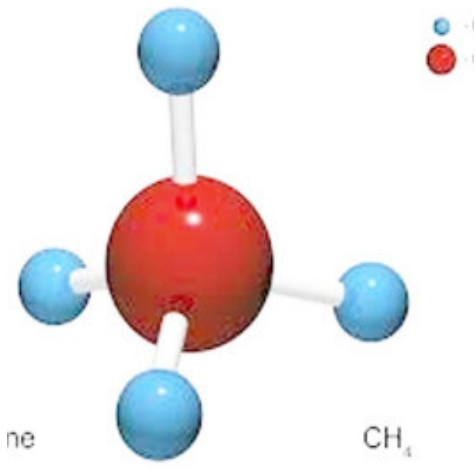

गाय के श्वास से भी मीथेन गैस निकलती है। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के तालाबों में जो टहनी, पत्ते और मृत पशु बह कर आते हैं, वे तालाब की तलहटी में पड़े–पड़े सड़ते रहते हैं। इससे भी बड़ी मात्रा में मीथेन पैदा होती है। नैशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट ने पाया कि टिहरी झील से भी मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है।

भारत का कहना है कि धान, पशुपालन और पनबिजली को बढ़ाना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसलिए मीथेन उत्सर्जन सीमित करने को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है। धान की खेती कम करेंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसीलिए भारत ने इस ग्लासगो समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार मीथेन उत्सर्जन कम करने के आधे तरीके ऐसे हैं, जिनसे आर्थिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए, धान के खेत में लगातार ज्यादा समय तक पानी भरा रखने के स्थान पर यदि कुछ समय तक पानी भर के रखा जाए, फिर उसे बहा दिया जाए और कुछ समय बाद पुनः नया पानी भर दिया जाए तो मीथेन उत्सर्जन कम हो जाता है। पानी के अभाव में पत्तियों का सड़ना रुक जाता है और नए पानी में ऑक्सिजन भी उपलब्ध रहती है। इससे फसल की मात्रा तो पूर्ववत रहती है, लेकिन मीथेन गैस कम उत्सर्जित होती है।

गोबर से पूर्व में अपने देश में गोबर गैस बनाई जाती थी। गोबर के सड़ने से मीथेन गैस उत्सर्जित होती थी, लेकिन उसे ट्रैप कर लिया जाता था और उससे लाइट, रसोई पकाने जैसे काम लिए जाते थे। ऐसा करने से मीथेन कार्बन डायॉक्साइड में बदलकर उत्सर्जित होती थी। बाद में एलपीजी के सस्ता होने और दूर के गांवों में उपलब्ध होने से गोबर गैस का उपयोग कम होते–होते शून्यप्राय हो गया। इससे मीथेन उत्सर्जन का नुकसान रोकते हुए उसका लाभ उठाने का एक तरीका हमसे छिन गया।

सूडोकु नवताल- 5271

सरल

		5			8			
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6						1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
			2			7		

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5270 का हल

5	7	4	1	3	9	6	2	8
2	8	9	6	5	7	1	4	3
3	6	1	2	8	4	5	7	9
9	3	7	8	1	6	4	5	2
6	5	8	4	9	2	3	1	7
1	4	2	5	7	3	8	9	6
7	9	6	3	4	1	2	8	5
4	2	5	9	6	8	7	3	1
8	1	3	7	2	5	9	6	4

अपना ब्लॉग

मांस को बनाने में पशु द्वारा मीथेन का उत्सर्जन

मोहन। मांसाहारी भोजन में मीथेन उत्सर्जन ज्यादा होता है क्योंकि मांस को बनाने में पशु द्वारा मीथेन का उत्सर्जन होता है। यदि हम शाकाहार को अपनाएं तो मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और भोजन की लागत में भी बचत कर सकते हैं।

पनबिजली पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान में सरकार दक्षिण में पोलावरम और उत्तर में लखवाड़ ब्यासी जैसी बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इनसे पैदा होने वाली बिजली की लागत 10 रुपये प्रति यूनिट या अधिक होगी। यदि यही रकम सौर ऊर्जा में लगाई जाए तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा और 4 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली मिल जाएगी। मीथेन उत्सर्जन कम करने के ये उपाय काफी महत्वपूर्ण हैं। इनके मद्देनजर कहा जा सकता है कि सरकार मीथेन समझौते पर दस्तखत करे या ना करे, उसे इन गतिविधियों को बढ़ाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिनमें कार्बन उत्सर्जन कम होने के साथ–साथ आर्थिक विकास भी होता है।